पत्रांक ..../

गृह विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः— **अग्निशमन सेवा के कार्यों के पर्यवेक्षण के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार की योजना सभी थानों एवं अनुमंडल में अग्निशमन सेवा स्थापित करना है। इसके अंतर्गत अनुमंडल एवं कई थानों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दी गयी है। इस वर्ष भी लगभग 300 थानों में वाहन भेजे जा रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि राज्य में जिला स्तर पर अग्निशमन सेवा का संगठन नहीं है। मात्र अग्निशमन केन्द्र है। इस कारण से थाना एवं अनुमंडल स्तर पर अग्निशमन सेवा के कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं हो रहा है। उदाहरणस्वरुप थानों में उपलब्ध वाहन को उपयोगी रखने के लिये पानी का प्रबंध है या नहीं, चालक एवं अग्निक हैं या नहीं एवं उनका प्रशिक्षण हुआ है या नहीं आदि।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि थाना एवं अनुमंडल स्तर के अग्निशमन सेवा के संसाधनों एवं कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु अनुमंडल एवं प्रखंड/थानों के अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें कि वे नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया करें, जिससे कि अग्निशमन सेवा के कार्य सुचारु रूप से हो सकें। पर्यवेक्षण के क्रम में पाये गये तथ्यों से महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें को अवगत करायें। जिस कमी को अपने स्तर से दूर कर सकते हैं उसे अवश्य दूर करें।

विश्वासभाजन,
ह0/—
(आमिर सुबहानी)

ज्ञापांक 153 गृ.आ. दिनांक 08-01-2016

प्रतिलिपि — सभी प्रमंडलीय समादेष्टा, बिहार, गृह रक्षा वाहिनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
2. महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

8.1.16

प्रधान सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।